

// कार्यालय उमानि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर 8080 //
क्रमांक/वपुअ/राय/शिका/396, मनि/5401AR-1202-ए/05 दिनांक 8. 7. 05
प्रति,

Regd. No.

श्री त्रिपुरारी शाय,
असिस्टेन्ट डायरेक्टर,
राष्ट्रीय जन जाति आयोग,
9 फ्लोर लोक नायक भवन,
नई दिल्ली- 110003

विषय:- आवेदक शिववीर सिंह टोहर साकिन शांति बिहार कालोनी
रायपुर द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र की जांच प्रतिवेदन।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/छत्तीसगढ़/एसटी-3/2005-स्पीसीआर दिनांक
23. 3. 05 एवं 10. 6. 05

*On file
JHP
21/7/05
A. Singh*

...

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत, संदर्भित पत्र का अक्लोकन करने का
कष्ट करें। आवेदक शिववीर सिंह टोहर द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र की जांच
नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक, रायपुर से करायी जाकर प्रतिवेदन प्राप्त
किया गया। जांच में पाया गया कि अनावेदक श्री जयंत बहादुर सिंह पिता श्री
लाल शंकर बहादुर सिंह साकिन राजकुमार कालिज रायपुर का है जो कि बैरागढ़
राज परिवार का सदस्य है। बैरागढ़ राजपरिवार के लोग नागवंशी होते है
मोपुओ के राज्य पत्र में राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित होने के बाद करीब 10-15
वर्ष पूर्व नागवंशी जाति को अनुसूचित जन जाति के रूप में अनुक्रमांक सूची के
16 के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति के रूप में शामिल किया गया है, इसके आधार
पर ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा इन्हें जाति प्रमाण-पत्र प्रदान
किया गया है। इस जाति प्रमाण पत्र का कोई गलत उपयोग करना व शासन को
कोई गलत उपयोग करना व शासन से कोई लाभ लेना नहीं बताया गया है।
अनावेदक जे0बी0सिंह का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राय
द्वारा जारी करना पाया गया है तथा जाति प्रमाण पत्र का जाली होना नहीं
पाया गया है। आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप के-बुनियाद है साथ ही पुलिस
पर भी लगाये गये आरोप मनगढ़ंत एवं असत्य पाया गया है।

*521/10/3
21-07-05*

जांच प्रतिवेदन कृपया अक्लोकनार्थ सादर सम्प्रेषित है।

सौमन:- मूल पत्र- 5 पन्ना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
रायपुर.

पु0क्रमांक/वपुअ/राय/शिका/45-05 डीओ-180-ए/05 दिनांक 7. 05
प्रतिलिपि:-

1. पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक/कल्याण, पुलिस मुख्यालय,
रायपुर का अर्धमासकीय पत्र क्रमांक/शिका/1456/05 दिनांक
30. 6. 05 के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ सम्प्रेषित।
1. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर क्षेत्र, रायपुर को उनके पत्र क्रमांक/
से-1-सी/डी/96-ए/05 दिनांक 1. 3. 05 के तारतम्य में कृपया
मूल पत्र सहित अक्लोकनार्थ सम्प्रेषित है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
रायपुर.